

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 11-7/2009/2/34
प्रति,

भोपाल, दिनांक

13 MAR 2013

✓ प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
म.प्र. भोपाल ।

विषय:- प्रथम आमंत्रण में प्राप्त एकल निविदा का निराकरण ।
संदर्भ:- आपकी टीप क्रं 136/फाईल/ईइनसी/एफयूएस/दिनांक 13.2.2013

राज्य शासन एतद् द्वारा म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश क्रं एफ-53-1-2010-19-यो 610 दिनांक 28.1.2013 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में तत्काल प्रभाव से लागू करता है । आदेशानुसार विभाग में भी पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त प्राप्त एकल निविदा को भी खोला जावे एवं निर्णय हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा विचारार्थ लिया जावे ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी०सी० चौधरी)
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
भोपाल, दिनांक

पृ० क्रमांक एफ 11-7/2009/2/34
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक मा.मंत्री जी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल ।
2. निज सहायक, सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल ।
3. समस्त मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश ।
4. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश ।
5. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-53-1-2010-19-यो 610
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28-1-13

- | | |
|--|--|
| 1. प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग
भोपाल। | 2. समस्त मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश |
| 3. समस्त अधीक्षण यंत्री
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश | 4. समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश |

विषय:- प्रथम आमंत्रण में प्राप्त एकल निविदा का निराकरण।

—0—

प्रथम आमंत्रण में प्राप्त एकल निविदा को बिना खोले पुनः निविदा आमंत्रित करने के संबंध में जारी म०प्र० शासन लो०नि०वि० के परिपत्र क्रमांक एफ-52/1/10/यो/19-51 दिनांक 03.01.2011 एवं तत्पश्चात् आंशिक संशोधन कर शासन के परिपत्र क्रमांक एफ-53-1-2010-19-यो-6531 दिनांक 07.11.2012 द्वारा विभाग में रिस्क एण्ड कास्ट तथा परफारमेंस गारंटी के अंतर्गत टेकेदार की लागत पर मरम्मत कार्यों की निविदाओं के प्रथम आमंत्रण में प्राप्त एकल निविदा को भी खोला जाने का निर्णय लिया गया है। शासन एतद् द्वारा उक्त दोनों परिपत्रों को निरस्त कर आदेशित करता है कि पर्याप्त प्रकार प्रसार के उपरान्त प्राप्त एकल निविदा को भी खोला जावे एवं निर्णय हेतु संक्षम अधिकारी द्वारा विचारार्थ लिया जावे।

सहपत्र:-0

म०प्र० के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विजय सिंह वर्मा)

सचिव

म०प्र० शासन लोक निर्माण विभाग
भोपाल, दिनांक 28-1-13

पू० क्रमांक एफ-53-1-2010-19-यो 611
प्रतिलिपि:-

- 1- महालेखाकार म०प्र० ग्वालियर/भोपाल।
- 2- विशेष सहायक मान० मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग भोपाल।
- 3- प्रमुख सचिव म०प्र० शासन जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, स्कूल शिक्षा, वाणिज्य कर, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उच्च शिक्षा विभाग, खनिज विभाग, गृह विभाग, विधि और विधायी कार्य विभाग।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्र:-0

N/A(S.R.)-3

सचिव

म०प्र० शासन लोक निर्माण विभाग